संख्या- ए. 20011/40/2019- हिन्दी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

दिनांक- 04 फरवरी, 2021

परिपत्र

विषय: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा "पुलिस विज्ञान" हिंदी पत्रिका का प्रकाशन और पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21 के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से प्राप्त निम्नलिखित पत्रों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर निदेशालय के सभी कार्मिकों की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित की जाती है :-

(क) **पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2020-21 विषय पर दिनांक 07 जनवरी 2021 का पत्र संख्या 18001/01/2020-हिंदी- (7408) :-** योजना में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

(ख) **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा "पुलिस विज्ञान" हिंदी पत्रिका का प्रकाशन विषय पर दिनांक 13 जनवरी 2021 का पत्र संख्या 37/02/2020-हिंदी** :- जिसके अंतर्गत समस्त स्टॉफ को शांति व्यवस्था, अपराध, न्याय-व्यवस्था, साइबर अपराध, जेल प्रशासन एवं इनसे संबंधित अच्छे आचरण (बेस्ट प्रैक्टिस) इत्यादि पर उत्कृष्ट लेख लिखकर भेजने का अनुरोध किया गया है।

2. कृपया उपरोक्त विषय पर अपने स्टॉफ को उत्कृष्ट लेख लिखने हेतु प्रेरित करते हुए संलग्नक पत्रों में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रविष्टियां/ उत्कृष्ट लेख भिजवाएं।

04.02.2021
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक : यथोपरि।
प्रतिलिपि:

1. सहायक निदेशक (सूचना प्रोद्योगिकी) -विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सूचनार्थ और कार्रवाई हेतु ।
2. कार्यालय प्रति ।

शशि कान्त उपाध्याय
उप-महानिरीक्षक/उपनिदेशक । वि० पु० प्र०
Shashi Kant Upadhyay
DIG / Deputy Director (SPD)
Tel. 91-11-26781311 (O)
E-mail dig-spd1@bprd.nic.in

निदेशक का निजी अनुभाग
Director's Personal Section
879
18.01.21

अपर निदेशक अनुभाग
Addl. Director Section
60
18/1/21

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8 महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110037
Bureau of Police Research And Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8 Mahipal Pur
New Delhi-110037

सं.37/02/2020-हिंदी

दिनांक: 13 जनवरी, 2021

विषय : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा "पुलिस विज्ञान" हिंदी पत्रिका का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा लम्बे समय से छमाही हिंदी पत्रिका "पुलिस विज्ञान" का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका का अगला अंक (जनवरी-जून, 2021) जून, 2021 में प्रकाशित किया जाएगा।

2. इस पत्रिका में शांति व्यवस्था, अपराध, न्याय-व्यवस्था, साइबर अपराध, जेल प्रशासन एवं इनसे संबंधित अच्छे आचरण (बेस्ट प्रैक्टिस) इत्यादि पर लेख शामिल किए जाते हैं। इस ब्यूरो को इन विषयों पर प्रचुर मात्रा में उत्कृष्ट लेख प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने समस्त स्टाफ को उपर्युक्त विषयों पर उत्कृष्ट लेख लिखकर भेजने हेतु प्रेरित करते हुए इस पत्रिका के प्रकाशन में अपना सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। लेख भेजते समय यह ध्यान रखें कि लेख टाईप किया गया हो और कम से कम 08 से 10 पृष्ठों का हो। यदि लेख के साथ फोटो इत्यादि हो तो उसे भी साथ भेजें। लेख ई-मेल द्वारा vijay@bprd.nic.in पर भी भेज सकते हैं। लेख भेजते समय लेखक द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि लेख मौलिक है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है। इस पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले लेखों के लिए रुपये 3000/- प्रति लेख मानदेय दिया जाता है।

(शशि कान्त उपाध्याय)
उप महानिरीक्षक (वि.पु.प्र.)

सेवा में,

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस महानिदेशक
सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
सभी जेलों के प्रमुख
सभी विश्वविद्यालय

AD II, SO
13/01/21

Email

Director Dcpw

पंडित गोविंद पंत पुरस्कार योजना 2020-21

From : Piscal Vikram AnandRao <piscal@bprd.nic.in> Sun, Jan 10, 2021 10:53 PM

Subject : पंडित गोविंद पंत पुरस्कार योजना 2020-21 1 attachment

To : Rishi Kumar Shukla <dcbi@cbi.gov.in>, DG BSF <dgbsf@bsf.nic.in>, Dr. A P Maheshwari <dg@crpf.gov.in>, DG ITBP <dg@itbp.gov.in>, director@svpnpa.gov.in, DGRPF RailwayBoard <dgrpf@rb.railnet.gov.in>, Sh Kumar Rajesh Chandra <dg-ssb@nic.in>, DIRECTOR GENERAL NSG <dgnsg@nsg.gov.in>, DG, NCB <dg-ncb@nic.in>, DG NIA <dg.nia@gov.in>, dg ndrf <dg.ndrf@nic.in>, dirspg cabsec <dirspg@nic.in>, Digital Security SPG <spgmail@nic.in>, Director NICFS <director.nicfs@nic.in>, nepa-meg <nepa-meg@nic.in>, hqdgar@hotmail.com, dg-dgar@gov.in, dg-dgar@nic.in, dgfscdhg@mha.gov.in, M A Ganapathy <dg.bcas@gov.in>, M A Ganapathy <dg.bcas@nic.in>, COSCA <cosca.bcas@nic.in>, Director Dcpw <director@dcpw.nic.in>, director dcpw <director.dcpw@gov.in>, director@ncrb.nic.in, artc dgar <artc.dgar@gmail.com>, gso1trgdgar@gmail.com, SO One A DGAR <so1a-dgar@gov.in>

महोदय/महोदया

पंडित गोविंद पंत पुरस्कार योजना 2020-21 से संबंधित पत्र एवं इसके संलग्नक भेजे जा रहे है। अनुरोध है कि इसे डाउनलोड करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

PGVPPY 2020 21.pdf
1 MB

12/1

JD(A)

DD(A)

AD(OL)

12/1/21

12/1

AD/D4

13/1/2021

20.01.2021

शशि कान्त उपाध्याय
उप-महानिरीक्षक/उपनिदेशक (वि० पु० अ०)
Shashi Kant Upadhyay
DIG / Deputy Director (SPD)
Tel. 91-11-26781311 (O)
E-mail dig-spd1@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037
Bureau of Police Research And Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipal Pur,
New Delhi-110037

सं.18001/01/2020-हिंदी-(7408)

दिनांक: 7 जनवरी, 2021

विषय - पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2020-21

महोदय,

कृपया इस ब्यूरो के अर्धसरकारी पत्र संख्या.18001/01/2020-हिंदी-(7408) दिनांक 26 अगस्त, 2020 का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द्वारा पुलिस, कारागर प्रशासन, अपराधशास्त्र तथा न्यायालयिक विज्ञान व अन्य पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के लिए "पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार" योजना का व्यापक प्रचार करते हुए प्रविष्टियां भेजने का अनुरोध किया गया था। इस योजना की विस्तृत जानकारी के संबंध में इस ब्यूरो द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया है। इस योजना का पूर्ण विवरण एवं विज्ञापन एक बार पुनः संलग्न है।

2. आपसे पुनः अनुरोध है कि इस योजना की विस्तृत जानकारी अपने कार्यालय व सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रचारित करें और अधिक से अधिक प्रविष्टियां भिजवाने की कृपा करें। इससे आपके विभाग में छुपी लेखन प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलेगा, और बदलते परिवेश में पुलिस की विभिन्न समस्याओं के निराकरण का अवसर भी प्राप्त होगा। योजना के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है।

आपका

(शशि कान्त उपाध्याय)
7/1/2021

संलग्न: उपरोक्तानुसार

सेवा में,

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस महानिदेशक
सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
सभी विश्वविद्यालय/प्रकाशक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)
पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए
पंडित गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा न्यायालयिक विज्ञान, कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण, अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं-

भाग-1 पुलिस से संबंधित विषयों पर हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(1) मूल पुस्तकें - **30,000/-30,000/-** रूपये तक के **पांच** पुरस्कार। इन पांच पुरस्कारों में से एक पुरस्कार महिला लेखक के लिए आरक्षित है। बशर्ते उनकी रचनाएं उपलब्ध हों।

(2) अनूदित हिन्दी पुस्तकें **14,000/-,14,000/-** रूपये तक के दो पुरस्कार। (एक महिला लेखकों के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हुई हो।

भाग-2 - ब्यूरो, पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रतिवर्ष **40,000/-** रूपये तक के दो पुरस्कार प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री शामिल करनी है, का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा। इसके लिए इस वर्ष सामान्य वर्ग का विषय **"भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक का योगदान"** है।

इसी भाग के अंतर्गत एक पुरस्कार **40,000/-** रू. का केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए विषय **"अपराध नियंत्रण में प्रभावी अन्वेषण की भूमिका"** है। इन विषयों पर रूपरेखाएं आमंत्रित की जा रही हैं-

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

(2) योजना के प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो **31-12-2020** तक प्रकाशित हुई हैं।

(3) भाग-1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं, परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी। प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी। भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी।

(4) पुस्तकों/पांडुलिपियों **की तीन-तीन प्रतियाँ** निर्धारित **संलग्न प्रपत्र** के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी। ये पुस्तकें/पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं।

(5) पुस्तकें लगभग 150 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए।

(6) योजना के भाग-2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर **विस्तृत रूपरेखा और अपने बायोडाटा की तीन-तीन प्रतियां** भेजें।

(7) इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी हो।

(8) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें/रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि कम कर दे।

(9) किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी **तीन** वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) भेजने की अंतिम तारीख-

उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **31.03.2021** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(11) कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक हिन्दी,
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
राष्ट्रीय राजमार्ग-8
महिपालपुर, नई दिल्ली- 110037
मो. 9873674281

(यह विज्ञापन वर्ष 2020-21 के लिए है)

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2020-21

प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम व विषय ....
2. पुस्तक का संस्करण व वर्ष ....
3. लेखक/अनुवादक का नाम और पूरा पता ....

   ....

   टेलीफोन/मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पता ....
4. प्रकाशक का नाम और पता ....
5. रायल्टी पाने वाली संस्था अथवा व्यक्ति का नाम व पूरा पता..............................

   ....
6. (क) क्या यह रचना मूल अथवा अनूदित है...

   (ख) क्या अनूदित कृति है तो मूल पुस्तक और उसके लेखक और प्रकाशक का पूरा

   पता...
7. प्रमाणित किया जाता है कि यह अनूदित कृति है तथा इसके लेखक और प्रकाशक से हिंदी अनुवाद तथा प्रकाशित करने की अनुमति ले ली गई है।
8. प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक की मूलकृति, अनुवाद अथवा पांडुलिपि पर भारत, किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा परिचालित कोई पुरस्कार अथवा किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक-

हस्ताक्षर (लेखक अनुवादक)

सार्वजनिक सूचना

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना 2020-21

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा पुलिस कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिनांक **31 मार्च, 2021** तक रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं, मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार 30,000/- रुपये प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए 14,000/- रुपये प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित) तथा दो पुरस्कार 40,000/- रूपये प्रति पुरस्कार के हैं इसके लिए रूपरेखाएं आमंत्रित है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए विषय **"भारत की आर्थिक प्रगति में प्रभावी कानून व्यवस्था और तकनीक का योगदान"** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय **"अपराध नियंत्रण में प्रभावी अन्वेषण की भूमिका"** है, इस विषय में न्यायालयिक विज्ञान और नई तकनीकों के प्रयोग को भी शामिल किया जाए। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपादक हिंदी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037 (मो. 9873674281) से संपर्क करें। विस्तृत जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट **www.bprd.nic.in** पर उपलब्ध है।

डीएवीपी 19117/11/0003/2021